

कार्यालय नगरपालिका परिषद, पांडुर्णा

(E_mail –cmopandurna@mpurban.gov.in) 07164-220048

क्रमांक/७५/लो.नि.वि./न.पा./2026

पांडुर्णा, दिनांक-३०/०४/२०२६

// ई-निविदा आमंत्रण सूचना //

एतद् द्वारा लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम क्षेणी के पंजीयक कृत ठेकेदार/फर्म से अधोलिखित विवरण अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिनांक 08/11/2025 एवं समस्त संशोधन सहित प्रभावशील प्रचलित आई.एस.एस. आर. के आधार पर कम/अधिक प्रतिशत दर पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।


निविदा क्रमांक	कार्य का नाम एवं विवरण	अनुमानित लागत (रु० में)	धरोहर राशि (रु० में)	निविदा फार्म का शुल्क	समयावधि
1	2	3	4	5	7
	गुरुनानक वार्ड में सीसी सडक पर बिटुमिन कोटिंग कार्य।	9,25,118/-	9,251/-	2,000/-	03 माह वर्षा ऋतु सहीत

शर्तें :-

- 1 - निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।
- 2 - ऑनलाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 30.04.2026 को 17:00 बजे से 21.05.2026 के 17:00 बजे तक क्रय किये जा सकते हैं।
- 3 - ऑनलाईन बिड सबमिट करने की अंतिम तिथि 21.05.2026 के 17:00 बजे तक है।
- 4 - निविदा दिनांक 30.05.2026 समय 17:00 बजे से खोली जावेगी।
5. लिफाफा-"ए" में ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा -
(अ) अमानत राशि (EMD) निविदादाता के स्वयं के खाते से जमा की गई की ऑनलाईन रिसिप्ट प्रस्तुत करना होगा।
(ब) निर्धारित शपथ पत्र (Affidavit) (स) लो.नि.वि. (PWD) जिवंत पंजीकृत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
(द) पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. नं. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(द) टेण्डर फार्म एवं NIT के अनुसार " दस्तावेज"
6. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. टेण्डर फार्म में अमानत राशि के साथ अन्य दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा के समस्त अधिकार नगर पालिका परिषद पांडुर्णा के पास सुरक्षित होंगे।
9. योजना अन्तर्गत निविदाकार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शासन के समस्त नियमों एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा में जी.एस.टी. छोड़कर समस्त करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं प्रत्येक देयक के साथ जी.एस.टी. का भुगतान तत समय प्रचलित दर से किया जावेगा।
11. निविदाकार को कार्य समयसीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी जिसे निविदाकार को मान्य करना होगा।
12. निविदाकार को दर स्वीकृती उपरांत जिला श्रम पदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनिमय एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रारूप-05 तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ठेकेदार के उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
13. निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नहीं है के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश/दिशा निर्देश अंतिम मान्य होंगे।
14. योजना अंतर्गत शासन द्वारा प्रदाय राशि के आधार पर ही भुगतान यथा समय किया जावेगा। जिसे निविदाकार को मान्य करना होगा।
15. अतिरिक्त जानकारी वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> पर टेण्डर डाक्यूमेंट पर देखी जा सकती है या कार्यालय नगर पालिका परिषद पांडुर्णा में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर लोक निर्माण शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
16. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत अनुबंध के समय निविदादाता को निविदा लागत का 3 प्रतिशत राशि परफारमेन्स गारंटी बैंक गारंटी/एमडीआर के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
17. निविदादाता को शासन द्वारा समय-समय पर निविदा प्रपत्र में जारी संशोधन/आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. सेक्शन-3 कन्डीशन ऑफ कान्ट्रैक्ट पार्ट-2 स्पेशल कंडिशन ऑफ कान्ट्रैक्ट(एस.सी.सी.) का पालन करना अनिवार्य होगा।


नोट/अन्य शर्तें -

- (1) निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में केवल ऑनलाईन संशोधन किया जावेगा, न्यूज पेपर में नहीं।
- (2) निविदाकार को ई.पी.एफ.विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पांडुर्णा
निरन्तर ...पेज नं. 2

पृष्ठा. क्रमांक / 74 / 2026
प्रतिलिपि -

1. माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद पांढुर्णा की ओर सूचनार्थ ।
2. संभागीय कार्यालय, कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ हेतु ।
3. कार्यालय नगर पालिका परिषद पांढुर्णा के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।
4. दैनिक समाचार पत्र.....एवं..... में उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन कम स्थान एवं कम दर पर, प्रकाशित विज्ञापन की मूलप्रति बिल के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें ।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पांढुर्णा